HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 5,000/–रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 04-12-2025 को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में एक हत्यारोपी को दण्डित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

- दिनांक 13-10-2020 को अभियुक्त नूरहसन पुत्र जहीर निवासी ग्राम बदरखॉ थाना सिम्भावली जनपद हापुड द्वारा राजपुर निवासी आफरीन के सिर में गम्भीर चोट पहुंचाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी जिसके सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पर मु0अ0सं0 321/2020 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03-01-2021 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- मॉनिटरिंग सैल हापुड़ द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 04-12-2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे द्वितीय हापुड़ द्वारा आजीवन कारावास व 5,000/–रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्री विजय चौहान (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक उ0नि0 श्री राहुल चौधरी एवं पैरोकार का0 अनुज कुमार व कोर्ट मोहर्रिर का0 प्रदीप कुमार का विशेष योगदान रहा।